संख्या-26/2016/1024/94-स्टा०नि०-2-2016-500(5)/91 टी०सी०

प्रेषक,

अनिल कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक निबंधन,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

स्टाम्प एवं निबन्धन अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 28 नवम्बर, 2016

विषय:- भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की धारा-56ए के अंतर्गत मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी की शक्तियां उपायुक्त स्टाम्प में निहित होने के उपरान्त उपायुक्त स्टाम्प को धनराशि की सुनवाई के निर्धारण के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्टाम्प एवं निबंधन अनुभाग-2 की निर्गत अधिसूचना संख्या-24/2016/889/स्टा०नि०–2-16-500(5)/91टी०सी०, दिनांक 16-09-2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें न्यायिक सदस्य राजस्व परिषद को रूपये पच्चीस लाख से अधिक तथा उपायुक्त स्टाम्प, संबंधित मण्डल/वृत्त को रूपये पच्चीस लाख तक के विवादों में अंतर्ग्रस्त स्टाम्प शुल्क की सुनवाई का अधिकार दिया गया है।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अधिसूचना दिनांक 16-09-2016 को जारी होने के उपरान्त स्टाम्पवादों के सुनवाई हेतु निम्नवत् स्थिति स्पष्ट की जा रही है:-

(1) शासनादेश दिनांक 16-09-2016 से पूर्व से जो स्टाम्पवाद मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन है, उन्हें उन्हीं न्यायालयों द्वारा सुना जायेगा तथा अधिसूचना जारी होने की तिथि के बाद योजित स्टाम्पवादों की सुनवाई उपायुक्त स्टाम्प के न्यायालय में की जायेगी।

(2) धारा-56(1-क) के परन्तुक के अनुसार किसी भी स्टाम्पवाद में निहित धनराशि में कमी स्टाम्प शुल्क, उस पर ब्याज एवं शस्ति भी सम्मिलित होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) दिनांक 16-09-2016 को जारी अधिसूचना के पश्चात् रूपये पच्चीस लाख तक की कमी के मामलें में अपील/निगरानी उपायुक्त स्टाम्प के न्यायालय में ही योजित होगी।

भवदीय

(अनिल कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त।

प्रतिलिपि निम्न लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. समस्त मुख्य नियंत्रक राजस्व प्राधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त, न्यायिक सदस्य, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त, मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त, जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त, उपायुक्त स्टाम्प, मण्डल/वृत्त, उत्तर प्रदेश।
6. सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश सूचना निदेशालय, लखनऊ।
7. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(भैरव नाथ शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।